

17/20/20

धीरज उन्वान भद्रनलाल वर्मा

हुकूम या-कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहमकाम जो इत
हुकूम श्री तामील
में जारी हय

25 जरीबादी सं. 1, 3 लगा. 9 के जवाब हेतु दिनांक
26/3/25 को पेश हो।

3/3/25

13/25 पत्रावली पेश हुई। बाकी- जरीबादी आदि. अनु-
जरीबादी सं. 1, 3 लगा. 9 की ओर से जवाब पेश
नहीं, जरीबादी सं. 2 की. मृतपु होने से संशोधित उन्वान
एवं जरीबादी सं. 2 के विधिक कारिसान की तलबी हेतु
सम्मत तलनाम पेश नहीं। पत्रावली वास्ते तलबी एवं
जवाब हेतु दिनांक 9/4/25 को पेश हो।

3/3/25

14/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
मौजूबदीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साविक आवेश
दिनांक 24/4/25 को पेश हो।

3/3/25
आदेश से रीटर

24/4/25 पत्रावली पेश हुई। बाकी आधी वक्ता अनु. जरीबादी
सं. 1, ~~3~~ 3 लगा. 9 का जवाब पेश नहीं, न्यायाधीश में
अवसर चाल गया, अवसर दिला गया। जरीबादी सं. 2 के
विधिक कारिसान की तलबी हेतु सम्मत पेश नहीं।
पत्रावली वास्ते तलबी एवं जवाब हेतु दिनांक 19/5/25
को पेश हो।

3/3/25

19/5/25 पत्रावली पेश हुई। बाकी आधी. अनु. जरीबादी आधी.
अनु. पत्रावली वास्ते जरीबादी सं. 1, 3 लगा. 9 के
जवाब एवं जरीबादी सं. 2 के विधिक कारिसान की
तलबी हेतु दिनांक 26/2/25 को पेश हो।

3/3/25

5/6/25 पत्रावली पेश हुई। बाकी आधी. अनु. जरीबादी आधी. अनु.
जरीबादी सं. 1, 3 लगा. 9 का जवाब पेश नहीं। जरीबादी
सं. 1, 3 लगा. 9 को जवाब जलन करने हेतु पत्रावली
अवसर दिती जा चुके हैं। जरीबादी सं. 1, 3 लगा. 9

3/3/25

— लगातार — 3/3/25

5/6/25

की ओर से बहाल न्याया दिनांक 8/1/24 की
 पेश किया गया) उसके उपरान्त 4 वर्ष 09 माह से
 अधिक का समय जारी होने के उपरान्त भी जमानत
 पेश नहीं। जारिबानि सं. 1, 3 लगा-9 का जमानत
 पेश नहीं होने से किंबल जारिज बांहरा के अंतर्गत
 8 नियम 4 की जालना नहीं होने से जमानत
 किया जाता है। वादी आधीवक्ता द्वारा जारिबानि सं.
 2 की मृत्यु उपरान्त संबोधित अनवान एवं जारिबानि
 सं. 2 के विलीक वाकिमान की तलही हेतु समान
 तलवाने पेश नहीं किये गये हैं। वादी की संबोधित
 अनवान पेश करने लगा जारिबानि सं. 2 के विलीक
 वाकिमान की तलही हेतु जमानत में अंतरिम
 अमाना दिया जाता है। जमानत को संबोधित
 अनवान एवं तलही हेतु दिनांक 16/6/25 को पेश
 हो।

5/6/25

16/6/25

पत्रावली पेश हुई। अमानत स्थानीय बार
 एसोसियेशन द्वारा स्वयंभू किया
 हुआ है। पीठासीन जायकारी अन्य राजकीय
 कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साक्षिक आदेश
 दिनांक 30/7/25 को पेश हो।

आधी वक्ता

30/7/25

पत्रावली पेश हुयी उपरान्त
 पीठासीन जायकारी अन्य कार्य से व्यस्त
 अवकाश में है। पत्रावली साक्षिक आदेश
 दिनांक 18/8/25 को पेश हो।

आधी वक्ता

18/8/25

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी आधीवक्ता अनुपस्थित।
 वादी एवं वादी आधीवक्ता को विनियमसुसार तीन बार
 आवाने लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया।
 वादीगण एवं वादी आधीवक्ता को जमानत में अंतरिम
 एक बार आवाने लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं

जमानत - 18/8/25

हुकम या-कार्यवाही मय इनिशियल जज

मध्यम व सहील
अधिकार जो इत
हुकम यो सामान्य
ये जारी हूए

आजा) वादी एवं वादी आदिबन्धन के उपरिहित नहीं
आने के कारण वादी जस उक्त वाद अलगति धारा
53-54, 88, 89, 92क, 188, 189 राजस्मान कार्रकारी
आदिबन्धन अवम हापकी) अदम पैली में जारी
किना जात है। रिपि से बचलाय बुतापा जाजा।
पत्रावली नौमल शुमार होकर दाखिल
पाफतर ले तगा नम्बर से कम हो।

~~सहायक न्यायिक अधिकारी~~
मिली 8125